


फाइल सं. ए.12018/52/2019-कुष्ठ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा, में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।
manojkumar.upadhyay29@gov.in


(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख.....2022

सा. का. नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल, स्टाफ कार (साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए; अधिक्रमण किया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद - संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या । (2)	वर्गीकरण । (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर । (4)	चयन या अचयन पद । (5)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) ।	3* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', राजपत्रित अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-1 (19900-63200 रुपए) ।	लागू नहीं होता ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)		(7)	(8)	(9)
18 वर्ष से 25 वर्ष* (जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामलों में पैंतालिस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,		आवश्यक:- (i) मोटर कारों के लिए चालन अनुज्ञप्ति विधि मान्य रखते हों; (ii) मोटर प्रणाली की जानकारी (अभ्यर्थी को वहाँ के छोटी मोटी मरम्मत करनी आती हो) (iii) तीन वर्ष कम से कम के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव; (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: होम गार्ड/सिविल वोलेंटियर के रूप में 3 वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: अर्हताओं में उच्च अर्हताएं प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के दिशानिर्देशों पर छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

<p>सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अभाव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है</p>		
<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रतिनियुक्ति/ आमेसन जिसके द्वारा ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>सशस्त्र बलों के कार्मिक के लिए: प्रतिनियुक्ति /पुर्ननियोजन</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/आमेसनसंबंधित: जिले/राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह घ के कर्मचारियों में से, जिनके पास मूल्यांकन के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। मोटर कार चलाने की क्षमता जिसके न होने पर नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर के पद पर कार्यरत अधिकारी या केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 के ग्रुप सी के नियमित कर्मचारी जो स्तम्भ (7) में उल्लिखित आवश्यक योग्यता और अनुभव को पूरा करते हैं ।</p> <p>सशस्त्र बल सेना कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुर्ननियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष सहायक निदेशक या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य अवर सचिव, (साधारण) - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता</p>

<p>होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

[फा.सं. ए-12018/52/2019-कुष्ठ]

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार